अतः पत्रावली दिनांक 25/7/23 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

25/7 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित. वकील वादी की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 28.7.23 को पेश हो।

28/7/23 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, वकील वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय अलग से तैयार करा शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी—हुकमीचन्द रोहलानिया, आर०ए०एस०
प्रकरण संख्या — वाद पत्र 267/2019

<u>अनवान प्रकरण</u>

1—लादूलाल पिता हीरा गुर्जर निवासी बैरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
———वादी

बनाम

1—लेहरू पिता काना गुर्जर निवासी रामाजी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2—राजस्थान सरकार राज्य जरिये तहसीलदार साहब माण्डल जिला भीलवाड़ा

———प्रतिवादीगण

(वाद पत्र बाबत— कब्जेयाबी आराजीयात, अन्तर्गत धारा 183 राज0काश्त0अधिनियम)

———0———

उपस्थितः— वकील वादी — श्री एस0के0पालीवाल
वकील प्रतिवादीगण — एक तरफा

———0———

<u>नर्णय</u> दिनांक 28.07.2023

वादी के द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—
1—यह कि ग्राम बैरा पटवार हल्का गैगास तहसील माण्डल की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 246 में आराजी नम्बर 1252/423 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज है।
2—यह कि उपरोक्त आराजीयात पर वादी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी ने उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने का एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 262/2015 कायम हुए जिसका निर्णय दिनांक 29.05.2015 को हुआ। मई, 2015 में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त आराजी के पूर्वी दक्षिणी कोने पर 01 बिस्वा भूमि पर एवं पश्चिमी दक्षिणी कोने पर नारायण पुत्र भैरू गुर्जर ने 05 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया जिससे दिनांक 24.06.2015 को गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर पत्थरगढी की गयी। जिसमें वादी की आ0नं0 1252/423 के पूर्वी दक्षिणी कोने पर 01 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का एवं पश्चिमी दक्षिणी कोने पर नारायण पिता भैरू गुर्जर ने 05 बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया। जिस पर नारायण पिता भैरू गुर्जर निवासी रामाजी का खेड़ा ने अपना कब्जा छोडकर वादी को सौंप दिया जिस बाबत एक इकरारनामा भी वादी के पक्ष में दिनांक 20.07.2015 को निष्पादित किया गया। इस कारण नारायण के विरूद्ध कोई विवाद नहीं है। वादी की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 का कोई हक अधिकार नहीं है। ....

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

3—यह कि प्रतिवादी संख्या 01 को कई बार वादवर्णित आराजी नम्बर 1252/423 के 01 बिस्वा भूमि पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 ने कोई ध्यान नहीं दिया व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 21.07.2015 को प्रतिवादी को उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 वादी के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गया। प्रतिवादी संया 01 ने वादी को धमकी दी कि वादी की वह उक्त आराजी के 01 बिस्वा भूमि से कब्जा नहीं छोडेगा। इस कारण वादी को यह वाद पेश करने की नौबत पेश आयी है।

4—अतः वादी की यह प्रार्थना है कि ग्राम बैरा पटवार हल्का गैगास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा की आ0नं0 1252/423 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा के पूर्वी दक्षिणी कोने पर 01 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किये गये कब्जा को हटाकर वादी को कब्जा दिलाने की कब्जेयाबी की डिक्री वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध सादिर फरमायी जावे।

5—यह कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी की आराजी नम्बर 1252/423 के 01 बिस्वा पर उसके द्वारा कब्जा करने की दिनांक से पुनः वादी को कब्जा सिपुर्द होने की दिनांक तक का हर्जाना प्रतिमाह 1000/—रू0 के हिसाब से वादी को प्रतिवादी संख्या 01 से दिलाया जावे।

6—यह कि वादी का वाद दिनांक 23.07.2015 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध दिनांक 08.09. 2015 को एवं प्रतिवादी संख्या 01 का जवाब दिनांक 23.03.2018 को बन्द करते हुए दिनांक 25.07.2023 को एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया।

7—यह कि प्रकरण एक तरफा होने से वाद बिन्दु कायम नहीं किए गए। वादी ने अपने वादी की ताईद में ग्राम बैरा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2072 प्रदर्श—1 व नकल जमावन्दी सम्वत् 2076 से 2079 प्रदर्श—2, पत्थरगढी के प्रार्थनापत्र संख्या 262/2015 आदेश दिनांक 29.05.2015 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदर्श—3, पत्थरगढी हेतु बनाया गया पर्चामौका दिनांक 24.06.2015 प्रदर्श—4 पेश किए। अपने दस्तावेजों को प्रदर्श कराये जाने हेतु शहादत वादी में स्वयं वादी लादूलाल पिता हीरा गुर्जर पी0डब्ल्यू01 के मौखिक बयान कलमबद्ध कराये। अन्य कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किए।

8—यह कि वादी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। बहस में वकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बैरा में वादी की खातेदारी एवं कब्जे की आराजी नम्बर 1252/423 स्थित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा है जिस पर वादी काबिज हो काश्त करता आ रहा है परन्तु उक्त आराजी के पूर्वी दक्षिणी कोने पर प्रतिवादी संख्या 01 ने 01 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा कर अपनी खातेदारी भूमि में मिला लिया। इसके लिए वादी ने जब अपनी खातेदारी की उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाई तो इसकी जानकारी पटवारी हल्का गैगास एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर आराजी की नपती की जाकर उसका पर्चामौका दिनांक 24.06.2015 को बनाया तब इसकी जानकारी हुई। इसके पश्चात वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 को मुझ वादी की 01 बिस्वा भूमि से कब्जा हटाने को कहा तो वह लड़ाई झगड़ा करने लग गया व

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

कब्जा छोडने से मना कर दिया । अतः उक्त 01 बिस्वा भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 से वादी को दिलाये जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। मैंने अपने वाद को पूर्णतया रिकॉर्ड व गवाह से सिद्ध कराया है । अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

9– हमने वादी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी तथा पत्रावली मे प्रस्तुत वादपत्र व बहस के तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन से निर्णय निम्नानुसार किया जाता है कि ग्राम बैरा की आराजी नम्बर 1252/423 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम बैरा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 प्रदर्श–1 एवं सम्वत् 2076 से 2079 प्रदर्श–2 में लादू पिता हीरा गुर्जर के नाम पर खातेदारी से दर्ज है। वादी ने अपनी आराजी की पत्थरगढी हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लादूलाल पिता हीरा गुर्जर निवासी बैरा बनाम राजी पत्नि नारायण गुर्जर निवासी रामा का खेड़ा वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसके नम्बर 262/2015 बने। उक्त प्रार्थना पत्र में आदेश दिनांक 29.05.2015 को पारित कर मौके पर पत्थरगढी हेतु तहसीलदार माण्डल को आदेशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार माण्डल के द्वारा पटवारी हल्का गेगास एवं भू अभिलेख निरीक्षक सर्कल लुहारिया के द्वारा दिनांक 24.06.2015 को पत्थरगढी की गई उसका पर्चामौका तैयार किया गया जो प्रदर्श–4 है। उक्त पर्चामौका में अंकित है कि आराजी नम्बकर 1252/423 के पूर्वी दक्षिणी कोने पर करीब 01 बिस्वा भूमि पर लेहरू पिता काना गूजर व पश्चिमी दक्षिणी कोने पर 05 बिस्वा भूमि पर नारायण पिता भैरू गूजर का कब्जा है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि वादी की खातेदारी की आराजी नम्बर 1252/423 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 01 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का नाजायज कब्जा सिद्ध होता है । प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी के वाद का मौखिक या लिखित में स्वयं या अपने विधिक प्लीडर की ओर से कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया। शेष कथन अर्थात प्रतिवादी द्वारा 01 बिस्वा भूमि पर किए गए अतिक्रमण में कब से कब तक क्या–क्या काश्त की गई उसकी कूंत राशि क्या थी अन्य कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किए जाने से हर्जाने की दाद खारीज की जाती है। इस प्रकार वादी अपने वाद को सिद्ध कराने में पूर्णतया सफल रहा है। अतएव–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय का डिक्री किया जाता है कि मौजा बैरा पटवार हल्का गैगास की आराजी नम्बर 1252/423 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि के पूर्वी दक्षिणी कोने पर प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा 01 बिस्वा भूमि किए गए अतिक्रमण को हटाया जाकर वादी को इस भूमि का कब्जा दिलाया जावे। शेष हर्जाने का कथन सिद्ध नहीं होने से खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को तैयार कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

दईजलास श्री हुकमीचन्द रोहलानिया (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

श्री लादु लाल s/o श्री हीरा गुर्जर निवासी-बैरा तहसील-माण्डल

वादी

बनाम

1 श्री लेहरू s/o श्री काना गुर्जर निवासी-रामा जी का खेड़ा तहसील-माण्डल
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील-माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 183 R.T.A. मुकदमा नं0 / वर्ष 267/19 निर्णय दिनांक 28-07-23

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व श्री शरद कुमार पालीवाल Adv. मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय का डिक्री किया जाता है कि मौजा बैरा परवार हल्का गेगास त० मांडल की आराजी नं. 1252/423 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि के पूर्वी दक्षिणी कोने पर प्रतिवादी सं. 01 के द्वारा 01 बिस्वा भूमि पर किए अतिक्रमण को हटाया जाकर वादी को इस भूमि का कब्जा दिलाया जावे। शेष हर्जाने का कथन सिद्ध नहीं होने से खारीज किया जाता है।

आज तारीख 28-07-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा